1

14726

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AF 341758

कार्यालय उपकोषाधिकारी
हसनपुर, जनपद-अमरोहा
- 4 DEC 2013
उपकोषाधिकारी

दान पत्र
=======

क्षेत्रफल - 0-501 है0, किस्म सिंचित, दर 15,00,000/= रूपये प्रति है0, दान में दी गई सम्पत्ति किसी राष्ट्रीय, जनपदीय, मार्ग अथवा आबादी से सटी हुई नही है। मूल्य सूची के पृष्ट-59 के वी0कोड-1245 के अनुसार।

प्रदत्त स्टाम्प : 38,000/= रूपये, शीट - 10

सरकारी कीमत : 7,60,000/= रूपये

रामपाल सिंह

5768 — 58

बही नम्बर एक जिल्द............के पृष्ठ........ 14726
पर आज दिनांक 13/1/17 ....ई० को रजिस्ट्री की गयी।

सब रजिस्ट्रार, हसनपुर

क्षेत्रफल 2-027हैक्टा 1/3 भाग, किस्म-सिंचित, दर- 3,00,000/= रूपयेप्रतिएकड़

दस्तावेज का सिलसिला नं० 9593

यह लेखपत्र आज दिनांक 8-9-2010 को संलग्न परिशिष्ट में अंकित विवरणानुसार रु० 25,100/=
के कुल स्टाम्प 06 पन्नों पर विक्रीत सम्पत्ति के बाजारी मूल्य कुल रु० 5,01,000/=
पर अदा करते हुए श्री

जसमाल सिंह पुत्र श्री लल्लू सिंह जाति गूजर नि०ग्राम बाँहपुर परगना वतहसील हसनपुर जिला-ज्योतिबा फूलेनगर।

(विक्रेता प्रथम पक्ष)

ने रुपये
कि जिसके आधे रुपये 5,00,000/=(पाँच लाख रूपये)
होते हैं प्रतिफल के बदले में श्री 2,50,000/=(दो लाख पचास हजार रूपये)
एल०एस० विद्यापीठ, ग्राम बाँहपुर तहसील हसनपुर जिला ज्योतिबा फूलेनगर द्वारा चेयरमैन डा० सुनीलकुमार पुत्र श्री जसमाल सिंह नि० 778ई/7, जागृति विहार मेरठ। जाति गूजर

(क्रेता) द्वितीय पक्ष
तहसील हसनपुर

के हक में ग्राम बाँहपुर
जिला ज्योतिबा फूलेनगर स्थित सम्पत्ति जिसका पूर्ण विवरण संलग्न प्रिन्टेड प्रोफार्मा के परिशिष्ट में दिया गया है सम्बन्ध में निष्पादित किया।

जो कि (विक्रेता) प्रथम पक्ष निम्नलिखित सम्पत्ति का पूर्ण स्वामी है, और वह उस पर काबिज है। यह सम्पत्ति हर प्रकार के ऋण-भार, विवाद एवं बन्धन आदि से मुक्त है तथा इसको विक्रय करने का (विक्रेता) प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार प्राप्त है अतः (विक्रेता) प्रथम पक्ष अपनी स्वेच्छा से प्रसन्नता से स्वस्थ मस्तिष्क की दशा में खूब सोच समझकर अपनी आवश्यकता हेतु एवम् वर्तमान बाजारी मूल्य पर इस सम्पत्ति को इससे सम्बन्धित समस्त स्वत्व अधिकारों एवम् हितों सहित बिना कोई विषय सुरक्षित रक्खे, संलग्न स्टाम्प पर प्रतिफल के बदले में (क्रेता) द्वितीय पक्ष को विक्रय कर दिया अब इस सम्पत्ति से (विक्रेता) प्रथम पक्ष अथवा उसके किसी उत्तराधिकारियों का कोई वास्ता ताल्लुक किसी प्रकार का नहीं रहा है और न भविष्य में होगा विक्रीत सम्पत्ति से प्रथम पक्ष विक्रेता ने अपना स्वामित्व व अधिपत्य हटा कर द्वितीय पक्ष क्रेता का स्वामित्व व अधिपत्य करा दिया इस प्रकार बदल कब्जा अमल में आया अब यदि (विक्रेता) प्रथम पक्ष स्वत्व, अधिकार के अभाव या त्रुटि के कारण या किसी भागीदार के उत्पन्न होने या किसी अन्य कारण से विक्रीत सम्पत्ति का कुल या उसका अंश (क्रेता) द्वितीय पक्ष के अधिकार से निकल जावे या उस पर (क्रेता) द्वितीय पक्ष को अधिकार न मिले या किसी भार, जिसका स्पष्ट उल्लेख (विक्रेता) प्रथम पक्ष ने न किया हो (क्रेता) द्वितीय पक्ष को चुकता करना पड़े, ऐसी समस्त दशाओं में क्रेता) द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि कब्जा स्वयं या अदालत द्वारा ले लेवे और अपनी हानि तथा व्यय भार सब मय हर्जा खर्चा अदालत, (विक्रेता) प्रथम पक्ष व उसके उत्तराधिकारियों की जात व जायदाद से जिस प्रकार चाहे वसूल कर ले (विक्रेता) प्रथम पक्ष व उसके उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति न होगी।

प्रथमपक्ष
जसमाल सिंह

द्वितीयपक्ष

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH ⁅2⁆ L 927482

विक्रित भूमि वक्फ सम्पत्ति नहीं है

जसमाल सिंह

8/9/010